

# **THE U.P. PROTECTION OF TREES**

## **ACT, 1976**

[U.P. Act No. 45 of 1976]

Sections:

1. **Short title, extent and commencement**
2. **Act not to apply to certain Areas**
3. **Definitions**
4. **Restriction on felling and removal of trees**
5. **Procedure for permission to fell remove trees**
6. **Representation against the decision of the Competent Authority**
7. **Obligation to plant trees**
8. **Plantation of trees in blank area**
9. **Implementation of directions given under Section 7 and 8**
10. **Penalty for felling or removal of trees in contravention of Section 4**
11. **Offences by companies**
12. **Forfeiture of timber**
13. **Power to arrest without warrant**
14. **Power of seize**
15. **Power to compound offences**
16. **Contravention of Act to be reported by certain officers**
17. **Award of penalty or confiscation not to interfere with other punishment**
18. **Officers to be public servants**
19. **Execution of order for payment of money**
20. **Bar of proceedings**
21. **Exemption**
22. **Provisions of this Act to be in addition to any other law for the time being in force**
23. **Power of the State Government for preservation of trees**
24. **Power to make rules**
25. **Repeal and savings**

**[THE U.P. PROTECTION OF TREES<sup>1</sup>[\* \* \* ]**

**ACT, 1976**

[U.P. Act No. 45 of 1976]

[19 November, 1976]

An Act to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees <sup>2</sup>[ ]  
in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title, extent and commencement-** (1) <sup>3</sup>[This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.]

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

**2. Act not to apply to certain Areas-** This Act shall not apply to-

(a) trees situate in reserved and protected forests;

(b) trees situate in a forest or forest land in respect of which any notification under the Indian Forest Act, 1927 as amended in its application to Uttar Pradesh is in force;

<sup>4</sup>[(c) trees situate in Cantonment areas;]

**3. Definitions-** In this Act, unless there is anything repugnant in the context:

(i) "Blank area" means any piece of land (not being under cultivation) measuring one half of a hectare or more, which has five or less trees growing on it;

(ii) "Bhoomi Sanrakshan Adhikari" shall have the meaning assigned to it under the Uttar Pradesh Bhoomi Evam jal Sanrakshan Adhiniyam, 1963;

(iii) "Competent authority" means an authority appointed by the State Government by notification to perform the duties and exercise the powers imposed or conferred upon a competent authority by this Act; and different competent authorities may be appointed in respect of different classes of timber, fruit and other trees, and for different purposes;

1. The words 'Rural and Hill areas' of omitted by U.P. Act No.28 of 1998 (w.e.f. 1-12-1998).

2. The words 'Rural and Hill areas' of omitted by U.P. Act No.28 of 1998 (w.e.f. 1-12-1998).

3. The words 'Rural and Hill areas' of omitted by U.P. Act No.28 of 1998 (w.e.f. 1-12-1998).

4. Subs. for Clause (c) and (d) by Act 28 of 1998. (w.e.f. 1-12-1998)

(iv) "Divisional Forest Officer" means an officer incharge of a forest division and exercising jurisdiction over the area;

(v) "fell a tree", with its cognate expressions, means cutting girdling, lopping, pollarding or damaging a tree in any other manner;

(vi) "Government garden" means, a piece of land belonging to the Central or State Government used for growing flowers, fruits or vegetables or planting or raising trees, and includes a grove land belonging to the Central or State Government;

(vii) "hill area" means the districts of Almora, Pithoragarh, Garhwal, Chamoli, Tehri-Garhwal and Utrakashi and the hill patts of District Naini Tal and areas of Chakrata Tahsil and Massorie Municipal Board of Dehradun District but does not include any Cantonment area;

(viii) "holding" and "tenure holder" shall have the meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;

(ix) "Public Premises" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972;

(x) "Revising Authority" means an authority appointed by the State Government as revising authority under this Act;

(xi) "Tree" means any woody plant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than five centimeter in diameter at height of thirty centimeters from the ground level and is not less than one meter in height from the ground level, and the expressions "timber trees" and "fruit trees" means respectively the trees of the species specified in Schedule I and Schedule II respectively;

Provided that the State Government may by notifications add to or modify the Schedules;

(xii) "Urban Area" means an area (not being a hill area), which is included within the limits of a [Nagar Nigam]<sup>1</sup> Municipal Board, (Notified-Area committee, Town Area Committee), Cantonment Board or of a Development Authority;

(xiii) "Words and expressions" used in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927, as amended in its application to Uttar Pradesh, but not defined in this Act shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

#### **4. Restriction on felling and removal of trees-** Except as provided in this Act or the rules made there under, no person shall-

1. Subs. by U.P. Act No. 12 of 1994 for the word "Nagar Mahapalika" (w.e.f. 30-5-1994)

- (a) fell any tree standing on any land, whether included in a holding or not;
- (b) cut, remove or otherwise dispose of any tree other than a tree which is completely dead and has fallen without the aid of human agency on any such land.

<sup>1</sup>**[5.Procedure for permission to fell remove trees-** (1) Any person entitled to fell a standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of a fallen tree, may make an application to such officer in such form as may be notified by the State Government, for permission to fell such standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of such fallen tree and the officer to whom such application is made, shall, within twenty days after making such enquiry as he thinks fit, forward the application along with his report to the competent authority.

(2)The competent authority shall, within fifteen days from the date of receipt of the report under sub-section (1), grant or refuse the permission applied for;

Provided that the competent authority may, if he is not satisfied with the report made under sub-section (1), make such further enquiry as he thinks fit:

Provided further that such permission shall not be refused without affording the opportunity of hearing to the applicant;

Provided also that such permission shall not be refused if the tree constitutes danger to person or property:

Provided further that except in such areas as may be notified by the State Government in this behalf, such permission shall not be required for felling of any tree with a view to appropriating the wood or leaves thereof for *bona fide* use for purposes of fuel, fodder, agricultural implements or other domestic use:

Provided also that such immediate steps as are necessary to remove any obstruction or nuisance or to prevent any danger may be taken without such permission.

(3) Where the competent authority fails to take any decision under sub-section (2) within the time specified therefor, it shall be deemed that the permission applied for, has been granted.

(4) Every permission granted under this Act shall be subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be specified from time to time by the State Government by notification.

<sup>1</sup>**[6. Representation against the decision of the Competent Authority-**Any person aggrieved from the decision of the competent authority under Section-5 may make a representation within thirty days from the date of such decision to the Revising Authority and the decision of the Revising Authority on such representation shall be final.]

1. Section 5 and 6 Subs. by U.P. act No. 12 of 2001 and Notification. No. 993/17-V-1-1(a)-5-2001, dated 30 April, 2001, published in U.P. Gazette, Extra Part-1, Section (ka), dated 30 April, 2001.

**7. Obligation to plant trees-** Every person, to whom permission has been granted under this Act to fell, cut, remove or dispose of any tree, shall be bound to plant and tend two trees in place of every tree in the area, from where such tree has been felled, cut, removed or disposed by him under such permission:

Provided that the competent authority may for reason to be recorded in writing, permit lesser number of trees to be planted, or trees to be planted in any different area, or exempt any person from the obligation to plant or tend any tree.

**8. Plantation of trees in blank area-** (1) Where the Divisional Forest Officer is of opinion , on the basis of the report of a revenue officer, not below the rank of a Sub-Divisional Officer or a Horticulture Officer, not below the rank of a District Horticulture Officer or a Soil Conservation Officer not below the rank of Bhoomi Sanrakshan Adhikari or any forest officer not below the rank of Assistant Conservator of Forest, otherwise that trees should be planted in a blank area, he may issue a notice to owner, occupier or tenure-holder (hereinafter referred to as claimant) of such area to show-cause why trees should not be planted in such area as may be specified in such notice.

(2) The notice referred to in sub-section (1) shall be given in such form and shall contain such particulars and shall be served in such manner as may be prescribed.

(3) The Divisional Forest Officer may, after considering the cause, if any shown by the claimant, direct him to plant such number and class of trees as may be specified in the direction.

(4) Any person aggrieved from any direction given under sub-section (3) may within 30 days from the date of such direction, prefer an appeal to the Conservator of Forests concerned, whose decision shall be final.

**9. Implementation of directions given under Section 7 and 8 -** (1) Every person who is under an obligation to plant trees under Section 7 or to whom any direction has been given under Section 8 shall start preparatory work within ninety days, from the date of the permission or the date of receipt of direction, as the case may be, and shall plant the trees in accordance with such direction in the next following rainy season or within such extended time as the Divisional Forest Officer concerned may allow.

(2) In case of default by such person the Divisional Forest Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person in the prescribed manner.

**10. Penalty for felling or removal of trees in contravention of Section 4 -**

Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of Section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

**11. Offences by companies -** (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person incharge of and responsible to the Company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the Commission of such offence.

(2) Notwithstanding any-thing contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any Managing Agent, Secretary, Treasurer, Director, Manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation-* For the purposes of this section:

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals: and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

**12. Forfeiture of timber-** (1) Where any person is convicted of an offence under this Act any timber or the tree in respect of which an offence is committed and the implements used for felling such trees may be ordered by the Court to be forfeited to Government.

(2) Any timber forfeited under this section shall be disposed of by the competent authority in such manner as may be prescribed.

**13. Power to arrest without warrant-** (1) Any Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or police officer, not below the rank of a sub-Inspector, may without a warrant, arrest any person against whom there is reason to believe that he has been concerned in any offence under this Act:

Provided that in relation to the hill area the reference to Sub-Inspector in this sub-section shall be construed as a reference to Naib-Tehsildar.

(2) Every officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay and subject to the provisions of this Act as to release on bond, take or send the person arrested before the Magistrate having jurisdiction in the case, or to the officer-in-charge of the nearest police station.

(3) Any person arrested under this section shall be released on his executing a bond to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case.

**14. Power of seize-** (1) When there is reason to believe that any tree has been felled or cut or removed in contravention of the provisions of this Act, the wood of such tree, together with boat, vehicle, carrier or cattle, if any, used in such contravention may be seized by any Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or any police officer not below the rank of a Sub-Inspector or any other person empowered in this behalf by the State Government.

(2) Every seizure under this section shall be reported to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made, and such timber, boat, vehicle, carrier or cattle shall, subject to the order of such Magistrate, be disposed of in the prescribed manner.

(3) Any Forest Officer or Police Officer who vexatiously and unnecessarily arrests or seizes any property on pretence of such property being liable to forfeiture under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

**15. Power to compound offences-** (1) The State Government may by notification authorise any officers to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed offence under this Act in respect of any tree other than a tree situate in a forest, grove or public-premises, such sum of money not exceeding <sup>1</sup>[ten thousand rupees] by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sum of money to any such officer, the suspected person if in custody, shall be released and no further proceeding under this Act shall be taken against such person and notwithstanding anything contained in Section 14, such officer may on payment of such amount, not exceeding <sup>2</sup>[ten thousand rupees] as he may in the circumstances of the case think fit, release the property seized under this Act.

**16. Contravention of Act to be reported by certain officers-** It shall be the duty of every Forest Officer, Lekhpal, Panchayat Secretary, Police Constable, Assistant Horticulture Inspector or Assistant Soil Conservation Inspector or any officer superior to them:

(a) to give immediate information coming to his knowledge, of any contravention of Section 4 and of preparation to commit such contravention to the competent authority, and

(b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he may know or have reason to believe that it is about or likely to be committed.

1. Substituted vide the U.P Protection of Trees (Amendment) Act, 2011 (U.P. Act No. 20 of 2011) (w.e.f. 23.09.2011).
2. Substituted vide the U.P Protection of Trees (Amendment) Act, 2011 (U.P. Act No. 20 of 2011) (w.e.f. 23.09.2011).

**17. Award of penalty or confiscation not to interfere with other punishment-** The award of penalty or confiscation of any property under this Act shall not prevent the inflicting of any punishment to which the person affected thereby is liable under any order law.

**18. Officers to be public servants-** The officers exercising powers or discharging any duties or functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

**19. Execution of order for payment of money-** Any sum, including any amount for composition of an offence, the payment of which has been directed to be made by any person under this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery under any law for the time being in force, be recoverable from him as an arrear of land revenue.

**20. Bar of proceedings-** No suit or proceedings shall lie against the State Government or against any person empowered to exercise power or to perform duties or discharge functions under this Act, for anything in good faith done or purporting to be done under this Act.

**21. Exemption-** Subject to such conditions, if any, as may be imposed, the State Government may, if it is considered necessary so to do in the public interest by notification in the Official Gazette, exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of this Act.

**22. Provisions of this Act to be in addition to any other law for the time being in force-** The provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force prohibiting or regulating the felling of trees.



**23. Power of the State Government for preservation of trees-** (1) The State Government may in the interest of general public, declare by notification that any class of trees shall not be felled for such period as is specified in that notification.

(2) The management of such trees shall be regulated in the prescribed manner.

**24. Power to make rules-** The State Government may by notification make rules to carry out the purposes of this Act.

<sup>1</sup>[**24-A. Transitory provision on the change of name of U.P. Act No. 45 of 1976-** On and from the commencement of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998, any reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976, in any law or statutory instrument shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976]

**25. Repeal and savings-** (1) The Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural Areas Ordinance, 1976 (U.P. Ordinance No. 26 of 1976) is hereby repealed

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

1. Ins. by U.P. Act 28 of 1998.

**SCHEDULE-I**  
**TIMBER TREES**  
[See Section 3(xi)]

<b>Sl.No.</b>	<b>Common Name</b>	<b>Botanical Name</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Akhrot	Juglans regia
2.	Arjun	Terminalia arjuna
3.	Aam	Mangifera indica
4.	Imli	Tamarindus indica
5.	Kardhai	Anogeissus pendula
6.	Kanju	Holoptelea integrifolia
7.	Kusum	Schleichera trijuga
8.	Kail	Pinus excelsa
9.	Kharshu	Quercus Sernecarpifolia
10.	Khair	Acacia catechu
11.	Gutel	Trewia nudiflora
12.	Dhau/Bakli	Anogeissus latifolia
13.	Chandan	Santalum ablum
14.	Chamkharik	Carpinus viminea
15.	Chironji	Buchanania latifolia
16.	Chir	Pinus roxburgii
17.	Jamun	Syzygium cumini
18.	Dhak-Palas	Butea Monosperma (For Mirzapur, Varanasi, Banda and Jhansi districts only.)
19.	Tuni	Cedrella Serrata
20.	Tun	Cedrella Toona
21.	Tendu	Diospiros tomentosa
22.	Deodar	Cedrus Deodara
23.	Neem	Azadirachta indica
24.	Papri/Sansadu/Chikri	Buxus Sempervirens
25.	Phaliyant	Quercus glauca
26.	Bakain	Melia azedarach
27.	Bahera	Terminalia belerica
28.	Banj	Quercus incona
29.	Mahua	Madhuca latifolia
30.	Morinda	Abies pindrow
31.	Moru	Quercus dilatata
32.	Rai	Picea morinda
33.	Rianj	Quercus Lanuginosa
34.	Shisham	Dalbergia sissoo

35.	Salai	Boswellia serrata
36.	Sagaon	Tactona grandis
37.	Sal	Shorea robusta
38.	Siris	Albizia species
39.	Sain/Asna	Terminalia tomentosa
40.	Semal	Salmalia melabarica
41.	Harr	Terminalia chebula
42.	Haldu	Adina cordifolia

**SCHEDULE-II**  
**FRUIT TREES**  
[See Section 3(xi)]

SI.No.	Common Name	Botanical Name
1	2	3
1.	Anar	Punica Granatum
2.	Amrood	Psidium Guyava
3.	Aroo	Prunus perrico
4.	Aloobukhara	Prunus communis
5.	Aam	Mangifera indica
6.	Aonla	Embica officinale
7.	Kathal	Artocarupus integrifolia
8.	Khubani	Prunus armeniaca
9.	Naspati	Pyrus communis
10.	Narangi, Neebu, Malta, Mussammi, Santra	All varieties of citrus
11.	Litchi	Nephelium litchi
12.	Sharifa	Amona squemosa
13.	Sev	Pyrus Malus

**SCHEDULE-III**  
**(FUEL Trees)**  
[See Section 3(xi)]

Trees other than those specified in Schedules I and II.

उत्तर प्रदेश में [\*\*\*] वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम-

भारत गणराज्य के सताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-** (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
  - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. **अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा-** यह अधिनियम-
  - (क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर;
  - (ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो;
  - <sup>4</sup>[ (ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर]
3. **परिभाषाएं-** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-
  - (एक) " रिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू-खण्ड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों;
  - (दो) " भूमि संरक्षण अधिकारी" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है;
  - (तीन) " सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं;

1. उ0प्र0 असाधारण गजट में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित हुआ जो राज्यपाल द्वारा 19 नवम्बर, 1976 को पास हुआ।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों" निकाल दिया गया।

3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों" निकाल दिया गया।

4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) "प्रभागीय वन अधिकारी" का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है;

(पाँच) सजातीय पद सहित " वृक्ष के निपातन" का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छाटने, टूठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाने से है।

(छः) "राजकीय उ|कन" का तात्पर्य फल फूल या सब्जी उगान या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिये प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-खण्ड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है;

(सात) " पर्वतीय क्षेत्र" का तात्पर्य जिला अल्मोडा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है, परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है;

(आठ) "खाता" और "खातेदार" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई में उनके लिये दिया गया है;

- (नौ) "सार्वजनिक भू- गृहादि" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू- गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया है;
- (दस) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;
- (ग्यारह) "वृक्ष" का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उदभव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊँचाई पर पाँच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊँचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और क्रमशः पद "इमारती लकड़ी वाले वृक्ष" और "फल वाले वृक्ष" का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है;
- परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है;
- (बारह) "नागर क्षेत्र का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो <sup>1</sup>[नगर महापालिका], नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित हो;
- (तेरह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, "शब्द और पद" के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. **वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बंधन-** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति-

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा।

(ख) उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

<sup>1</sup>[5. **"वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया-** (1) कोई व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिए हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन पत्र दिया जाए, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार उचित करेगा:

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अग्रतर जाँच कर सकता है जैसी वह उचित समझे:

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाये, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपद्रव्य को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहाँ यह समझा जायेगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभति लेना भी है।

<sup>2</sup>[6. **सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अभ्यावेदन-** धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या- 993/17-वि-1-एक(क)-5-2001, दिनांक 30.04.2001 उ0प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क), दिनांक 30.04.2001 में प्रकाशित हुआ।
- 2- उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या- 993/17-वि-1-एक(क)-5-2001, दिनांक 30.04.2001 उ0प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क), दिनांक 30.04.2001 में प्रकाशित हुआ।

7. **वृक्षारोपण का दायित्व-** प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में, जहाँ ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन काराणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. **रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण-** (1) जहाँ परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहाँ वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाय।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. **धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन-**(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दें, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति से वसूल कर सकता है।

10. **धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति-** जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

11. **कम्पनियों द्वारा अपराध-**(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।  
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और
- (ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।
12. **इमारती लकड़ी का समपहरण-** (1) जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाए, वहाँ न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहत किये जाने का आदेश दे सकता है।
- (2) इस धारा के अधीन समपहत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाय।
13. **बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति-** (1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंस्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।  
परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब- इंस्पेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।
- (2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।
- (3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिए, बन्ध- पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।
14. **अभिग्रहण करने की शक्ति-**(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष का लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाडीवाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिग्रहीत किया जा सकता है।
- (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव गाडीवाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।
- (3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस ब्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।
15. **अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति-** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू- गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो <sup>1</sup>[दस हजार रुपये] से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।
- (2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो <sup>2</sup>[दस हजार रुपये] से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।



16. **अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी-** प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक उद्यान-निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह-
- (क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम अधिकारी को दे, और
- (ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।
17. **शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा-** इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।
18. **अधिकारी लोक सेवक होंगे-** इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।
19. **धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन-** कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या- 20 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या- 20 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

20. **कार्यवाहियों पर रोक-** इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिए शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
21. **छूट-** ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।
22. **इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे-** इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।
23. **वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति-(1)** राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।
- (2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।
24. **नियम बनाने की शक्ति-** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

**1[24- क. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध-** उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और किसी विधि या परिणियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या 1425/सत्रह वि-1-1-(क) 21/1998 लखनऊ, दिनांक 29.07.1999 द्वारा बढ़ाया गया।

25. **निरसन तथा अपवाद-(1)** उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

**अनुसूची-एक**  
**इमारती लकडी वाले वृक्ष [धारा 3 (ग्यारह) देखिए]**

क्र०सं०	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अखरोट	जुगलेंसरिजिया
2	अर्जुन	टर्मिनलिया अरजुन
3	आम	मैंगीफेरा इण्डिका
4	इमली	टमारिनडस इण्डिका
5	करधई	ऐनोगाइसिस पैनुडुला
6	कंजू	होल्प-टीलिया इनटेग्रिफोलिया
7	कुसुम	स्लाईचेरा त्रिजुगा
8	कैल	पाइनस एक्सलसा
9	खरशू	क्यूरक्स सैमीकरपीफोलिया
10	खैर	एकेशिया कटेशू
11	गूटेल	टीविया नूडीलोरा
12	धाऊ/वकली	एनोगरइसस लैटीफोलिया
13	चन्दन	सन्टालम एलबम
14	चमखरिक	करपिनस विमीनिया
15	चिरौंजी	बुचनैनिया लैटिफोलिया
16	चीड	पाइनस राक्सवरगाई
17	जामुन	साइजीयम क्युमिन
18	ढाक/पलास	ब्यूटिया मोनसपरमा (केवल मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा और झांसी जिलों के लिए)
19	तूनी	सिड्रेला सेरटा
20	तून	सिड्रेला तूना
21	तेन्दू	डायस पायरेस टोमैन्टोसा
22	देवदार	सीडस दिओदारा
23	नीम	अजेडिरेक्टा इण्डिका
24	पपरी/सन्सदू/ चिकडी	बोक्सस सिमपरविरैन्स
25	फलियांट	क्वेरकस ग्लौना
26	बकाइन	मेलिया एजेडरेक
27	बहेडा	टर्मिनलिया बैलिरिका
28	बांच	क्यूरकस इनकाना
29	महुआ	मधुका लैटिफोलिया
30	मोरिन्डा	ऐबीज पिनडरू
31	मौरू	क्यूरसकस डाइलेटा
32	राय	पीरिसया मोरिण्डा
33	रियांज	केकरकस लेनीजीनोसा
34	शीशम	डलबर्जिया सिस्सू
35	सलई	बौसबेलिया सेरेटा
36	सागौन	टैक्टोना ग्रेन्डिस
37	साल	सोरिया रोबस्टा
38	सिरिस	एल्बिज्जिया स्पेसिज
39	सई/आसना	टर्मिनोलिया टोमैन्टोसा
40	सेमल	सलमेलिया मेलाबरिका
41	हरं	टर्मिनलिया चेबुला
42	हल्दू	ऐडीन कार्डिफोलिया

**अनुसूची-दो**  
**फल वाले वृक्ष**  
**[(धारा 3 (ग्यारह) देखिए)]**

क्र०सं०	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अनार	पुनिका ग्रेन्टम
2	अमरूद	पैसीडियम गाँवा
3	आड़ू	प्रूनस परसिको
4	आलू बुखारां	प्रूनस कम्युनिस
5	आम	मैंगीफेरा इण्डिका
6	आंवला	एम्बिलिका आफ्रीसेनेल
7	कटहल	अरटोकारपस इन्टिग्रिफोलिया
8	खुबानी	प्रूनस एरमैनाइका
9	नाशपाती	प्यूरस कम्युनिस
10	नारंगी, नींबू, माल्टा, मुसम्मी, सन्तरा	सभी तरह के सितरस
11	लीची	नैफेलियम लिची
12	शरीफा	एनीनास्क्यूमोसा
13	सेब	प्यूरस मेलस

**अनुसूची-तीन**  
**ईधन वाले वृक्ष**  
**[(धारा 3 (ग्यारह)]**

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष